रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96

REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 1996/माघ 30, 1917
No. 5] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 1996/MAGHA 30, 1917

जल-मृतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1996

सं० र-12024/2/95-टी०ए०जी०—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उप-धारा (1) तथा धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार श्री के० एम० साहनी, भा० पु० से० (र० जी० एम० यू० : 69) को 29-2-1996 (पूर्वाह्न) से 7500—8500 रु० के वेतनमान की अनुसूची "ग" में पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, दिल्ली परिवहन निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

के० आर० भाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 1996

No. A-12024/2/95-TAG.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 and Sub-section (1) of Section 14 of the Road

Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri K. M. Sahani, IAS (AGMU : 69) as Chairman-cum-Managing Director, Delhi Transport Corporation, in Schedule 'C' scale of pay of Rs. 7500—8500, for a period of five years or till the date of his superannuation, whichever is earlier, with effect from 29-2-1996 (A.N.).

K. R. BHATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications Delhi-110054 . 1995